न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव आर.ए.एस

पत्रावली सं. 147/2007/136 एलआर

रजनी देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद मुंदड़ा जाति महाजन निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीया/प्रार्थीया

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. यासीन पुत्र गनीशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी कस्बा लोसल जिला सीकर

—प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा बाबत राजस्व रिकार्ड अं.धारा 136 भूराअ

उपस्थिति—

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील वादीया की ओर से
2. श्री भवानीसिंह शेखावत प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में कृषि आराजियात खसरा नं. 1629 रकबा 0.61 है0 अवस्थित थी। जिसमें से वादिनी को रेकार्डेड खातेदार रूकमणीदेवी पत्नी कन्हैयालाल ने 0.15 है. भूमि बक्सीश की व वादिनी को बक्सीस में मिली कृषि भूमि के ख्सरा नं. 1629/1 रकबा 0.15 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। नये खसरा नं. 1629 के पुराने ख.नं. 723 थे तथा पुराने ख.नं. 723 रकबा 1.92 है. के नये ख.नं. 1629 रकबा 0.61 है0, 1631 रकबा 0.15 है0 तथा 1649 रकबा 1.14 है0, 1650 रकबा 0.02 है0 अंकित हुए जिनके ख.नं. 1629 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में उतर की तरफ ख.नं0 1630 की भूमि अवस्थित है तथा ख.नं. 1630 के दक्षिणी कोने व 1629 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से सड़क लोसल से रामपुरा सड़क मार्ग है तथा ख.नं. 1631 सड़क का ही भाग है व ख.नं. 1629 के पुराने नं. 723 की शेष भूमि रामपुरा लोसल सड़क मार्ग से दक्षिण व पूर्व की तरफ अवस्थित है जिसका कोई विवाद नहीं है जो ख.नं. 1649 व 1650 है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व पुराने ख.नं. 723 व 722 के दक्षिणी पूर्व की ओर झुकती हुई नक्शा ट्रेश में लाईन दर्शित है तथा ख.नं. 722 के भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नये ख.नं. 1625 व 1630 अंकित किये गये है परन्तु नक्शा ट्रेश में सीमांकन करते समय सहवन से सीमा लाईन को पुराने ख.नं. 722 के समान न करके खनं. 1629 के पश्चिम से पूर्व की तरफ बढते हुए अनावश्यक रूप से नये ख.नं. 1630 की सीमा का ख.नं. 1629 की सीमा में अंकन कर दिया जबकि मौके पर पुराने ख.नं. 722 व 723 के मध्य आज भी सींव नींव पुराने नक्शा ट्रेश के मुताबिक कायम है इसलिए ख.नं. 1629 व 1630 के मध्य हुए गलत नक्शा ट्रेश की लाईन को दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेश में अंकन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में वादिनी के ख. नं. 1629/1 अंकित है तथा ख.नं. 1629/1 ख.नं. 1629 का ही भाग है जिसके पश्चिम में

अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

स्थित ख.नं. 1630 के व 1629/1 के मध्य गलत दर्शित नक्शे में लाईन से वादिनी के सांपतिक अधिकारों का हनन होने की पूर्ण संभावना है। नये ख.नं. 1630 व 1629/1 के मध्य उतर दक्षिण सीमा लाईन जो कि नक्शा ट्रेश में गलत अंकित है को उतर की तरफ से ख.नं. 1629/1 में प्रवेश करने के पश्चात् दक्षिण तरफ घूमते ही सीधे सड़क मार्ग ख.नं. 1631 लोसल से रामपुरा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश की दुरूस्ती पुरानी सर्वेशीट ख.नं. 722 व 723 के अन्य सीमांकन के समान उसी के अनुसार की जानी प्रार्थनीय है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि नये ख.नं. 1630 व 1629/1 के मध्य उतर दक्षिण सीमा लाईन जो कि नक्शा ट्रेश में गलत अंकित है को उतर की तरफ से ख.नं. 1629/1 में प्रवेश करने के पश्चात् दक्षिणी तरफ घूमते ही सीधे सड़क मार्ग (ख.नं. 1631) लोसल से रामपुरा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश की दुरूस्ती पुरानी सर्वेशीट ख.नं. 722 व 723 के मध्य सीमांकन के समान उसी के अनुसार की जावें। आवेदन के साथ जमाबंदी , नक्शा ट्रेश, पुराने ख.नं. 722, 723 का नक्शा ट्रेश व मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां पेश की गई है।

2. वादपत्र/आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ से ली गई। प्रार्थी यासीन उम्मेद पुत्र गन्नी शाह जाति मुसलमान नि. कस्बा लोसल के आवेदन अं.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश होने पर आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा पत्रांक भूअ/15/6709 दिनांक 16.10.2015 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके अनुसार मौके पर ख.नं. 1630 व 2120/1629 की सीमा का विवाद है जो ख.नं. 1630 गत ख.नं. 722 मि. से बना है व ख.नं. 1629 गत ख.नं. 723 से बना है। वर्तमान व गत खसरा नम्बरों का नक्शे से मिलान करने पर भिन्नता है। यदि गत ख.नं. 722 एवं 723 की सीमा के अनुसार वर्तमान ख.नं. 1630 एवं 2120/1629 की सीमा कायम की जाती है तो ख.नं. 1630 का कुछ भाग ख.नं. 2120/1629 में जाता है संलग्न वर्तमान नक्शा ट्रेश में भिन्नता को वर्तमान ख.नं. 1630 में दिनांक 14.10.2015 के पटवारी हल्का, लोसल के हस्ताक्षरों से जारी नक्शे में ———— लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान में मौके पर ख.नं. 1630 एवं 2120/1629 खाली पड़े है। उक्त रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त की गई। इसके पश्चात् प्रार्थीया/वादिया एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 2 के मध्य आपसी राजीनामा हुआ जिसके अनुसार मौके पर रामपुरा–लोसल के कांकड़/सरहद सीमा से नाप कर ग्राम लोसल के खसरा नंबर 1630 की सीमा कायम की गई। ग्राम लोसल के खसरा नम्बर 1630 का रामपुरा–लोसल सड़क मार्ग पर 38 मीटर अग्रभाग है जिसका पक्षकारान के बीच विवाद है जिसका निस्तारण मौके पर ही कर मुताबिक राजीनामा भूमि नए खसरा नंबर 1630 तन लोसल जो कि द्वितीय पक्ष यासीन खां के खातेदारी व कब्जे काश्त का है, का लोसल–रामपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर दक्षिण साईड में 22 मीटर अग्रभाग रहेगा। उक्त 22 मीटर अग्रभाग से उतर की ओर खसरा नंबर 1630 के उतरी पश्चिमी कौने में सीमा मिलेगी जिसके पश्चिम सार्डड में भूमि खसरा नम्बर 1630 की भूमि द्वितीय पक्ष यासीन खां के कब्जे अधिकार व आधिपत्य में रहेगी जिस पर प्रथम पक्ष का कोई हक हिस्सा व उज्र नहीं रहेगा। उक्त भूमि पर भविष्य में प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का वाद विवाद व कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नये खसरा नंबर 1630 का लोसल–रामपुरा सड़क पर अग्रभाग 16 मीटर पूर्व साईड का प्रथम

उप अधिकारी,दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

पक्ष रजनी देवी के कब्जे काश्त व अधिकार में रहेगा। जिसकी मौके पर पत्थरगढी कर दी गई है जिसके अनुसार खसरा नं. 1630 तन ग्राम लोसल की उतरी–पश्चिमी कौने से पूर्व साईड में प्रथम पक्ष के अधिकार की भूमि रही है जिस पर द्वितीयय पक्ष का कोई हक हिस्सा व उज्र नहीं रहेगा। उक्त भूमि पर भविष्य में द्वितीय पक्ष यासीन किसी भी प्रकार का विवाद व कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पक्षकारान के बीच नक्शा दुरूस्ती बाबत विवाद था जिसका उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार, लोसल व हल्का गिरदावर व हल्का पटवारी द्वारा मौके पर नाप चौक करने पर पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हुआ है तथा मुताबिक राजीनामा मौके पर पत्थरगढी कर सीमा कायम कर दी गई है तथा उक्त राजीनामा/समझौता पत्र की फोटो प्रति नायब तहसीलदार, लोसल को मौका रिपोर्ट के संलग्न करने हेतु पेश कर दी गई है। उक्त राजीनामे के अनुसार हम दोनों पक्षकारान न्यायालय में राजीनामा पेश कर प्रकरण का निस्तारण नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर करवा लेंगे जिसमें दोनों पक्ष खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। उपरोक्त राजीनामा हम दोनों पक्षकारान में आपसी सहमति व स्वीकृति से पूर्ण सचेत अवस्था में बिना किसी दबाव दहशत के तहरीर करवाकर उपस्थित मौतबिर साक्षियों की उपस्थिति में राजीनामा को पढ सुन व समझकर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई।

3. हमने वकील वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील वादीया व प्रतिवादी सं. 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद था जिसका पक्षकारान के मध्य मौतबिर की उपस्थिति में दिनांक 29.02.2016 को राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार पटवारी हल्का, लोसल द्वारा नक्शा ट्रेश तैयार किया गया है उसकी सीमाएं वादीया व प्रतिवादी सं. 2 को स्वीकार है।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 के मध्य खसरा नंबर 1630 व खसरा नंबर 2120/1629 के मध्य सीमा विवाद था जो आपसी राजीनामा अनुसार हो चुका है। अतः आदेश है कि वादिया/प्रार्थीया का आवेदन अं. धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर वाके ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 1630 व 2120/1629 के मध्य चल रहे सीमा विवाद मुताबिक राजीनामा अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राजीनामा व पटवारी हल्का, लोसल द्वारा तैयार नक्शा ट्रेश इस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner